पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 155/2026

1. अभिषेक,
2. अभिजीत

पि0 भीमसेन जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. हनुमान पुत्र कृष्णचन्द
2. भीमसेन पुत्र हनुमान

जाति जाट निवासीयान डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– क. वादी अभिषेक को प्राप्त आराजी:– चक नं0 13 डीबीएल के प0न0 186/358. मु० 1 किलानं0 4,5,6,7,14, 15 कुल 1.518 है0
ख.वादी सं0 2 अभिजीत को प्राप्त आराजी:– चक नं० 13 डीवीएल के प०न० 187/358 मु0 2 किलानं0 1, 10, 11, 18, 19, 20 कुल 1.518 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक न0 13 डीबीएल के खाता सं0 56/45 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।